

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं के निबंधन हेतु कार्यरत Online निबंधन प्रणाली में Payment Gateway में कतिपय सुधार के प्रक्रियाधीन होने के कारण Online निबंधन प्रणाली की सेवाएं सम्प्रति बाधित हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में Online Payment Gateway से संबंधित सेवाएं चालू होने तक Offline Payment mode (Bank Demand Draft in favour of Under Secretary (Account), Water Resources Department, Bihar, Payable at Patna) के माध्यम से निबंधन शुल्क की राशि प्राप्त कर निबंधन की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निबंधन पथ निर्माण विभाग, बिहार की अधिसूचना सं०-5737(S) दिनांक-07.05.2007 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत किये जाएंगे। विस्तृत विवरणी प्रक्रिया, आवेदन पत्र इत्यादि के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार की अधिकृत वेबसाइट <https://wrd.bihar.gov.in> पर देखा जा सकता है अथवा कार्यालय (प्रशाखा-26) से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

जन सम्पर्क पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....११.८.२६.....।

विषय :- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संवेदको का निबंधन तत्कालीक व्यवस्था के तहत Offline Payment Mode (Bank Demand Draft) के माध्यम से निबंधन शुल्क प्राप्त किये जाने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जल संसाधन विभाग के अधीन संवेदको के निबंधन किये जाने संबंधी सूचना प्रारूप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित किया जाय।

अनु०-यथावत्।

विश्वासभाजन


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:- 26 / विविध-06-15 / 2023 ५६२१ पटना, दिनांक : ११.८.२६.....

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


११/८/२६

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।